

यूरोपीय संघ का नया डेटा संरक्षण वनियमन कानून हुआ प्रभावी

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ ने उपभोक्ताओं की नजिता को संरक्षण प्रदान करने के लिये नया सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन (General Data Protection Regulation) लागू किया है। नए नयिमों के मामले को पुरोत्साहन 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिये कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक यूजरस के डाटा चोरी होने के बाद मिला था। इस उल्लंघन के कारण 87 मिलियन यूजरस प्रभावित हुए थे।

महत्त्वपूर्ण बढि

- यह कानून फेसबुक की ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा के लिये विशेष रूप से फेसबुक डेटा एकत्र करने वाले घोटाले के चलते वैश्विक मानदंड बन जाएगा।
- नए नयिमों के कारण यूरोपीय लोग फरि से अपने डेटा पर नयितरण स्थापति कर पाएंगे।
- यूरोपीय संघ के नए डेटा नयिमों का उल्लंघन करने पर कंपनयियों को 20 मिलियन यूरो (24 मिलियन डॉलर) या वार्षिक वैश्विक कारोबार का चार प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इस कानून द्वारा स्थापति मुख्य सदिधांत यह है कि वियक्तयियों को स्पष्ट रूप से उनके डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- यह नया कानून उपभोक्ताओं के लिये 'जानने का अधिकार' (right to know) की भी स्थापना करता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि कौन उनकी जानकारी को संशाधति कर रहा है तथा इसका प्रयोग किस लिये किया जाएगा?
- लोग व्यावसायिक कारणों से अपने डेटा की प्रसंस्करण को अवरुद्ध (Block) करने में भी सक्षम होंगे और यहाँ तक कि "भूलने का अधिकार" (right to be forgotten) के तहत डेटा को हटा भी दिया जाएगा।
- जब तक बच्चे सहमति की आयु तक नहीं पहुँच जाते, तब तक माता-पिता बच्चों के लिये नरिणय लेंगे, जो सदस्य राज्य 13 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिये कहीं भी नरिधारति करेंगे।

नए कानून के लिये आगे की राह

- फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नए कानूनों के लिये अच्छी तरह तैयार हैं, जबकि छोटे व्यवसायों ने इसके प्रति चिंता जताई है।
- लेकिन यूरोपीय संघ का कहना है कि वे शुरुआत में बड़ी कंपनयियों पर ध्यान केंद्रति कर रहे हैं, जिनके व्यावसायिक मॉडल वजिजापन के लिये व्यक्तगित जानकारी का उपयोग करते हैं।
- जबकि छोटे फर्मों को इन नयिमों को अपनाने के लिये अधिक समय प्रदान प्रदान किया गया है।